

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
अधिसूचना

एस0ओ0-

पटना, दिनांक-

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा-22(एच) सह पठित बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 284(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निबंधित निर्माण कामगारों एवं उनके आश्रितों के हितार्थ संचालित योजना "वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना" के संबंध में निर्गत अधिसूचना संख्या-बी.सी.डब्लू.सी.-18/2016 श्र0सं0-902, पटना दिनांक-01.10.2018 के कंडिका-3 में निम्नवत् संशोधन करती है तथा कंडिका-4 एवं कंडिका-5 को विलोपित करती है। :-

कंडिका-3 में - "प्रत्येक योग्य निर्माण श्रमिक के परिवार को इकाई मानकर प्रत्येक वर्ष एकमुश्त धनराशि ₹3000/- (रुपये तीन हजार) उनके बैंक खाते में अन्तरित किया जाएगा" के स्थान पर "प्रत्येक योग्य निबंधित निर्माण श्रमिक को प्रत्येक वर्ष एकमुश्त धन राशि ₹3000/- (रुपये तीन हजार) उनके बैंक खाते में अन्तरित किया जाएगा" का प्रावधान किया जाता है।

कंडिका -4 एवं कंडिका-5 - विलोपित किया जाता है।

शेष कंडिकाएँ उक्त अधिसूचना संख्या- बी.सी.डब्लू.सी.-18/2016 श्र0सं0-902, पटना दिनांक-01.10.2018 के अनुसार पूर्ववत् रहेगा।

बी0सी0डब्लू0सी0-18/2016 श्र0सं0-951 पटना, दिनांक-29.10.2018

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सतीश कुमार शाही)  
29.10.18

(सतीश कुमार शाही)

सरकार के अवर सचिव,

श्रम संसाधन विभाग, बिहार

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक-एक प्रति प्रत्येक सदस्य तथा व्यक्ति को अग्रसारित किया जाय।

अधिसूचना

एस0ओ0-

पटना, दिनांक-

का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

बी0सी0डब्लू0सी0-18/2016 श्र0सं0-951 पटना, दिनांक-29.10.2018

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सतीश कुमार शाही)  
29.10.18

(सतीश कुमार शाही)

सरकार के अवर सचिव,

श्रम संसाधन विभाग, बिहार

**Government of Bihar**  
**Labour Resources Department**  
**Notification**

S.O.

Dated:-

In exercise of the power conferred by section 22(h) of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) and Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment & Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2016, the Government of Bihar makes amendments in **para-3** as follows and deletion of **para - 4** and **para - 5** of the notification no.-B.C.W.C.-18/2016 L.R.-902, Patna, Date-01.10.2018 in "**Annual Medical Assistance Scheme**" for the welfare of registered construction workers and their dependents:-

In **para-3** – "Considering the family of every eligible worker as a unit, an amount of Rs. 3,000/- (Three thousand) in toto will be transferred in the account of every eligible construction workers" **will be replaced by** "An amount of Rs. 3000/- (Three Thousand) in toto will be transferred in the bank account of every eligible registered construction worker."

**Para - 4 & Para - 5** – Deleted.

Rest of the notification no.-B.C.W.C.-18/2016 L.R.-902, Patna, Date-01.10.2018 will remain unchanged.

No. BCWC-18/2016 LR-951 Patna, Date- 29.10.2018

By order of the Governor of Bihar,

(Seal)  
29.10.18  
(Satish Kumar Shahi)

Under Secretary.

Labour Resources Department, Bihar

पटना, दिनांक-29.10.2018

ज्ञापक-बी0सी0डब्लू0सी0-18/2016 श्र0सं0-951  
प्रतिलिपि :- ई-गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ

(Seal)  
29.10.18  
(सतीश कुमार शाही)

सरकार के अवर सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार

-बी0सी0डब्लू0सी0-18/2016 श्र0सं0-951 पटना, दिनांक-29.10.2018  
प्रतिलिपि :- सरकार के सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(Seal)  
29.10.18  
(सतीश कुमार शाही)

सरकार के अवर सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक-बी0सी0डब्लू0सी0-18/2016 श्र0सं0- 95/ पटना, दिनांक-29.10.2018  
प्रतिलिपि :-श्रमायुक्त, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री के आप्त  
सचिव, श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(सेर)  
29.10.18

(सतीश कुमार शाही)

सरकार के अवर सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक-बी0सी0डब्लू0सी0-18/2016 श्र0सं0- 95/ पटना, दिनांक-29.10.2018  
प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर  
अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(सेर)  
29.10.18

(सतीश कुमार शाही)

सरकार के अवर सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार

(5)